कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,हापुड़।

पत्रांकःबेसिक/मान्यता/ 2511-14 /2018–19 दिनांक 11.05.18

प्रबंधक
दीवान ग्लोबल स्कूल,बाबूगढ़ छावनी,ब्लाक–हापुड़
जनपद–हापुड़।

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तरप्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली,2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इसके संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के संदर्भ में मैं **दीवान ग्लोबल स्कूल,बाबूगढ़ छावनी,ब्लाक–हापुड़** को **कक्षा–नर्सरी से 05 तक (अंग्रेजी माध्यम)** हेतु दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2021 तक तीन वर्षो की अवधि के लिये औपबन्धिक मान्यता का दिया जाना सम्प्रेषित करता हूँः–

1.मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और किसी भी रूप में कक्षा–05 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं कर सकता।
2.विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धो का पालन करेगा।
3.विद्यालय कक्षा एक में,कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा,परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामलें में भी यह सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4.प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिये विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5.समिति/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह नही करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावक को किसी जॉच प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा।
6.विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगाः–
(अ) बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,
(ब) धर्म,जाति अथवा नस्ल,जन्म स्थान अथवा उसमें से किसी आधार पर।
7.विद्यालय निम्नलिखित बातो को सुनिश्चित करेगाः–
(1)–किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
(2)–किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नही बनाया जायेगा।
(3)–किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
(4)–प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।
(5)–अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निशक्त ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों का अन्तर्वेशन
(6)–अध्यापक निजी अध्यापन किया–कलापों के निमित्त स्वयं को नही लगायेगा।
8.विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुशरण करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

9.विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10.विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगीं।

11.विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860(अधिनियम संख्या–21 सन 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12.विद्यालय किसी समूह या व्यक्ति संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13.लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिये और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा,जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है,जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

15.समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाये।

16.विद्यालय प्रबंन्ध/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

17.अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी को किसी भी माध्यम से भविष्य में यह तथ्य संज्ञानित होता है कि यह मान्यता विद्यालय प्रबंधक द्वारा विभाग को तथ्यगोपन कर प्राप्त की गयी है तो दी गई मान्यता को अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। यदि विद्यालय को पूर्व में ही कोई मान्यता प्रदान की गयी है तो यह मान्यता स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विभाग/सक्षम अधिकारी, विद्यालय प्रबंधक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

भवदीय

(देवेन्द्र गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हापुड़

पृ0सं0/बेसिक/मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0,इलहाबाद।

2–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),प्रथम मण्डल,मेरठ।

3–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी,जनपद–हापुड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समय–समय पर विद्यालय का निरीक्षण कर देख लें कि विद्यालय उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन कर रहा है कि नही,यदि अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो तत्काल इस संबंध में आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
हापुड़।

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश संख्या–89 /अरसठ –3–2018–2041 /2019 दिनांक 11 जनवरी ,2019 एवं संख्या–196/अडसठ –3–2020 –2041/2018 दिनांक 29 जून ,2020 (अंग्रेजी माध्यम उच्च प्राथमिक स्तर की तीन कक्षायें)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दीवान ग्लोबल स्कूल,
बाबूगढ छावनी, हापुड,
जनपद हापुड।

पत्रांकः बेसिक/मान्यता / 19105–19109 /2020–21 दिनांक 31/03/2021

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण –पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.09.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देशों से एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्रांक प्रबन्ध/1702/2020–21 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्रेषित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 25.02.2021 के कार्यवृत में व्यक्त सहमति के आधार पर, **दीवान ग्लोबल स्कूल, बाबूगढ, हापुड, जनपद हापुड** को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से 8 तक(अंग्रेजी माध्यम) के लिए औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अधीन हैः–

मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही हैं।

1. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम,2009 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
2. विद्यालय कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा , उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
3. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रति पूरित किया जायेगा । ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
4. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता – पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा।
5. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

   क– प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

   ख–किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न कें अध्यधीन नही किया जायेगा।

   ग– प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की उपेक्षा नही की जायेगी।

   घ– प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 कें अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

   च–अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

   छ–अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

   ज–अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

   झ– अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेंगें।
6. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
7. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	1500.00 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	–	735.00 वर्ग मी0
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	–	उपरोक्त में संम्मिलित
प्राध्यापक –सह–कार्यालय–सह –भांडागर के लिए कक्ष	–	11
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–	08
मिड–डे –मील पकाने के लिए रसोई	–	उपलब्ध हैं।
पेयजल सुविधा	–	उपलब्ध हैं।
बाधा रहित पहुंच	–	हॉ

अध्यापन पठन सामग्री /क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता

8. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएंगी।
9. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
10. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
11. स्कूल को किसी व्यष्टि ,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड, अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
13. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार /स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
14. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
15. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
16. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
17. विद्यालय में शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।
18. निर्धारित प्रारूप पर नियावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः 01 वर्ष के लिए दी जायेगी 01 वर्ष के पश्चात् मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर 01 वर्ष के पश्चात् विद्यालय को स्थायी मान्यता कर दी जायेगी।
19. यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी को किसी भी माध्यम से यह संज्ञानित होता है कि यह मान्यता प्रबन्धक/विद्यालय द्वारा विभाग से तथ्य गोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व से मान्यता प्रदान की गयी है, तो यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निर्गत तिथि ये ही निरस्त माना जायेगा और विभाग/सक्षम अधिकारी, विद्यालय एवं प्रबन्धक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा

भवदीय

31/03/2021

(अर्चना गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड।

पृ0सं0/बेसिक/मान्यता/ /2020–21 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रषित कि समय–समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते रहें तथा यह सुनिश्चित करें। कि विद्यालय द्वारा उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन किया जाय, और यदि उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन विद्यालय द्वारा नही किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में अविलम्ब आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।
4. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
हापुड।

Scanned with OKEN Scanner